

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 562]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2020 — कार्तिक 7, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 अक्टूबर 2020

आदेश

क्रमांक 8082/2391/21-ब/छ.ग./2020. — राज्य शासन, एतद्वारा, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (एन.डी.पी.एस.) के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जांजगीर चांपा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्रीमती शशीकला जांगड़े को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, के लिए विशेष लोक अभियोजक (NDPS) नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैनुअल में निर्धारित अनुसार होगी. नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-2012 के अनुरूप देय होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29- 2014 - न्याय प्रशासन, 114 - कानूनी सलाहकार और परिषद, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008 - शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र सिंह, अवर सचिव.

1123